

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची

दिनांक :- 20-03-17

अधि.सं.-01/स्था.(चा.प्र.)-10-06/2016.....9/10...../श्री विवेकानन्द मिश्र (आई.डी.-2181),
अधीक्षण अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड
की सेवा कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभारी मुख्य अभियंता के रूप में कार्य करने हेतु ग्रामीण
विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड को सौंपी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हेमन्त कुमार
20-3-17

(हेमन्त कुमार भक्त)

सरकार के उप सचिव(प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :- 20-03-17

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख
हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

हेमन्त कुमार
20-3-17

(हेमन्त कुमार भक्त)

सरकार के उप सचिव(प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :- 20-03-17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ माननीय मंत्री, जल
संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त
सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड
राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर
सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको,
राँची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन
मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6,
7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार त्यागकर नव पदस्थापित स्थान
का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग को देंगे।

हेमन्त कुमार
20-3-17

(हेमन्त कुमार भक्त)

सरकार के उप सचिव(प्र.)